

# छत्तीसगढ़ शासन

१

युवना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग  
महानंदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)

// छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना //

रायपुर, दिनांक 15/05/2013

क्रमांक एक ३-९/2013/56: राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, मेडिकल महाविद्यालयों एवं अन्य तकनीकी श्रेणी के उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों को लैपटॉप एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में वाणिज्य, कला एवं विज्ञान आदि निकायों में स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों को टेबलेट दिये जायेंगे। अतः एतद्वारा राज्य शासन के निर्णय के अनुपालन में विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप/टेबलेट प्रदाय करने हेतु निम्नानुसार योजना जारी करता है—

1. इस योजना का नाम—“छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना” होगा। इस योजना में विद्यार्थी को पात्रता अनुसार निःशुल्क लैपटॉप अथवा टेबलेट प्रदाय किये जायेंगे।

## 2. उद्देश्य—

- 2.1. राज्य के युवाओं को नई तकनीकों के उपयोग की सुविधा प्रदान कर उनका एवं राज्य का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना।
- 2.2. युवाओं को नई तकनीक के माध्यम से अपनी ज्ञान क्षमता में वृद्धि कर श्रेष्ठ कैरियर निर्माण में सहयोग प्रदान करना।
- 2.3. राज्य में कम्प्यूटर एवं इंटरनेट के उपयोग को बढ़ावा देना।

## 3. योजना की अवधि—

- 3.1 लैपटॉप एवं टेबलेट का वितरण इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में किया जायेगा।
- 3.2 योजनान्तर्गत हितग्राही विद्यार्थी को उसके शैक्षणिक जीवन में राज्य में स्थित किसी भी महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में किसी भी संकाय में अध्ययन के दौरान पात्रतानुसार केवल एक ही बार टेबलेट या लैपटाप वितरित किया जायेगा।

## 4. योजना का स्वरूप—

### 4.1 निःशुल्क लैपटॉप वितरण

- 4.1.1 योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष संलग्न सूची क्रमांक-1 में उल्लेखित राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिन्हित तकनीकी श्रेणी के उच्च शिक्षण संस्थाओं में स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किये जायेंगे।
- 4.1.2 इस योजना के अंतर्गत राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों, चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अन्य तकनीकी श्रेणी के उच्च शिक्षण संस्थानों का

समय—समय पर चिन्हांकन उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जा सकेगा।

- 4.1.3 हितग्राही विद्यार्थियों का चयन एवं लैपटॉप का वितरण अन्य संबंधित विभागों/संस्थाओं के समन्वय से तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में तकनीकी शिक्षा विभाग संबंधित विभागों एवं शैक्षणिक संस्थाओं को आवश्यक दिशा—निर्देश जारी कर सकेगा।
- 4.1.4 लैपटॉप का क्रय पारदर्शी क्रय प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वयन एजेंसी चिप्स द्वारा किया जायेगा।

#### **4.2 निःशुल्क टैबलेट वितरण**

- 4.2.1 योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष संलग्न सूची क्रमांक-2 में उल्लेखित राज्य के विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों /उच्च शिक्षण संस्थाओं में वाणिज्य, कला एवं विज्ञान आदि निकायों में स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अध्ययनन्रत अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किये जायेंगे।
- 4.2.2 इस योजना के अंतर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों/ उच्च शिक्षण संस्थाओं का समय—समय पर चिन्हांकन उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जा सकेगा।
- 4.2.3 हितग्राही विद्यार्थियों का चयन एवं टैबलेट का वितरण अन्य संबंधित विभागों/संस्थाओं के समन्वय से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग संबंधित विभागों एवं शैक्षणिक संस्थाओं को आवश्यक दिशा—निर्देश जारी कर सकेगा।
- 4.2.4 टैबलेट का क्रय पारदर्शी क्रय प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वयन एजेंसी चिप्स द्वारा किया जायेगा।

#### **5. योजना का क्रियान्वयन—**

- 5.1 इस योजना के क्रियान्वयन हेतु एजेंसी सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अधीनस्थ संस्था छत्तीसगढ़ इंफोटेक एवं बॉयोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) होगी।
- 5.2 क्रियान्वयन एजेंसी लैपटॉप एवं टैबलेट के स्पेसिफिकेशन का निर्धारण करेगी।
- 5.3 उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा क्रियान्वयन के लिये जारी दिशा—निर्देश के अनुसार चिप्स योजना का क्रियान्वयन करेगी।
- 5.4 प्रत्येक वर्ष, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में क्रियान्वयन एजेंसी चिप्स अर्हताधारी विद्यार्थी को लैपटॉप/ टैबलेट वितरण हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग से लैपटॉप की मांग तथा उच्च शिक्षा विभाग से टैबलेट की मांग प्राप्त करेगा एवं बजट हेतु शासन को प्रस्ताव भेजेगा।
- 5.5 उपरोक्त मांग में प्राप्त संख्या अनुसार क्रियान्वयन एजेंसी चिप्स निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं स्पेसिफिकेशन अनुरूप लैपटॉप/ टैबलेट क्रय कर एवं उनका तकनीकी परीक्षण कर लैपटॉप तकनीकी शिक्षा विभाग एवं टैबलेट उच्च शिक्षा विभाग को वितरण हेतु उपलब्ध करायेगा।
- 5.6 तकनीकी शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग प्रत्येक वर्ष लैपटॉप/ टैबलेट की प्राप्ति एवं वितरण स्थान, क्रियान्वयन एजेंसी, चिप्स को सूचित करेगा।

5.7 स्पेसिफिकेशन अनुसार सही और कार्यशील अद्वारा में लैपटॉप/टेबलेट वितरण स्थान पर प्रदान करने का दायित्व चिप्स का होगा तथा तकनीकी शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग लैपटॉप/टेबलेट की प्राप्ति एवं वितरण की प्रक्रिया निर्धारित करेंगे।

5.8 तकनीकी शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग अहताधारी विद्यार्थी को यथास्थिति अनुसार लैपटॉप/टेबलेट का वितरण सुनिश्चित करेगा। वितरण के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र में हितग्राही विद्यार्थियों की सूची चिप्स को उपलब्ध करायेगा।

5.9 योजना अंतर्गत लाभान्वित विद्यार्थियों की सूची चिप्स की वेबसाइट [www.chips.gov.in](http://www.chips.gov.in) राज्य शासन की वेबसाइट [www.cg.gov.in](http://www.cg.gov.in) पर प्रदर्शित की जाएं। संबंधित शैक्षणिक संस्था के सूचना फलक पर उस संस्था के लाभान्वित विद्यार्थियों की सूची चृस्पा की जाएं।

5.10 वितरित लैपटॉप एवं टेबलेट का वारंटी पीरियड में मेंटेनेंस की व्यवस्था का दायित्व चिप्स का होगा जो संबंधित प्रदायकर्ता के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी।

## 6 वित्तीय व्यवस्था—

6.1 योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा राज्य के बजट या अन्य मर्दों से सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बजट में प्रावधान उपलब्ध कराया जायेगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्रियान्वयन एजेंसी चिप्स को राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

6.2 चिप्स को जिस स्तर से राशि प्राप्त होगी उसे राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का दायित्व चिप्स का होगा।

6.3 लैपटॉप/टेबलेट के क्य मूल्य के अलावा योजना में क्रियान्वयन हेतु निविदा जारी करने, सॉफ्टवेयर लोड करने एवं अन्य प्रशासकीय कार्यों हेतु चिप्स बजट प्रावधान पर 1 प्रतिशत तक का व्यय कर सकेगा।

## 7 उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन—

7.1 योजना के क्रियान्वयन एवं मानिटरिंग हेतु शासन द्वारा निम्नानुसार एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की जायेगी—

7.1.1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
7.1.2	अपर मुख्य सचिव, वित्त	सदस्य
7.1.3	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग	सदस्य
7.1.4	प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परि. कल्याण	सदस्य
7.1.5	प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी	सदस्य
7.1.6	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी	सदस्य
7.1.7	सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग	सदस्य
7.1.8	सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
7.1.9	सचिव, विधि विभाग	सदस्य
7.1.10	सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग	सदस्य
7.1.11	संचालक, तकनीकी शिक्षा	सदस्य
7.1.12	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स	सचिव

- 7.2 इस समिति के प्रमुख दायित्व इस प्रकार होंगे—
- 7.2.1 योजना क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करना।
  - 7.2.2 क्रय प्रक्रिया का निर्धारण करना।
  - 7.2.3 योजना की प्रगति की समीक्षा करना।
  - 7.2.4 योजना के लिए वित्तीय प्रबंध करना।
  - 7.2.5 लैपटॉप एवं टेबलेट का स्पेसिफिकेशन चिप्स की सलाह पर अनुमोदित करना।
  - 7.2.6 हितग्राहियों के चयन हेतु अर्हता का निर्धारण।
  - 7.2.7 अंतर्विभागीय समन्वय एवं कठिनाईयों का निराकरण करना।
  - 7.2.8 योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार अन्य विषयों पर समीक्षा कर दिशा-निर्देश जारी करना।

## 8 मानिटरिंग—

- 8.1 योजना के क्रियान्वयन की मानिटरिंग सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की जायेगी।
- 8.2 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति की अनुशंसाओं पर दिशा निर्देश जारी कर सकेगा एवं उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकेगा।

9 यह योजना दिनांक 01 फरवरी 2013 से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*(उमेश कुमार अग्रवाल)*  
उप सचिव

पृ० क्रमांक एफ 3-9/2013/56

रायपुर, दिनांक 15/05/2013

1. राज्यपाल महोदय के परिसहाय, राजभवन रायपुर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छ.ग. शासन, रायपुर छ.ग.
3. निज सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग, मंत्रालय, रायपुर
4. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन .....विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर अनुरोध है कि इस योजना का राजपत्र में प्रकाशन कर 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*(24)*  
उच्च सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी

## सूची -1

विभिन्न संकायों की सूची जिनमें अध्ययनरत अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किये जायेंगे

क्र.	संकाय का नाम	Name of Course
1	राज्य में समस्त इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी	All students of Engineering College of State
2	राज्य में समस्त मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी	All students of Medical College of State
3	बी डी एस	BDS
4	बी ए एम एस	BAMS
5	बी एच एम एस	BHMS
6	दुग्ध प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग	Dairy Technology Engineering
7	एम टेक / एम ई / पीएच डी (इंजी.)	M. Tech./ M E/ Ph D (Engg.)
8	एम सी ए	MCA
9	बी आर्क	B Arch
10	बी एससी कृषि / उद्यानिकी	B Sc Agri / Horti
11	एम एससी / पीएच डी कृषि	M Sc / Ph D Agri
12	बी टेक कृषि	B Tech Agri
13	एम टेक / पीएच डी कृषि इंजी	M Tech / Ph D Agri Engg
14	बी यू एम एस	BUMS
15	बी एन वाय एस	BNYS
16	बी वी एससी	BV Sc
17	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर के विद्यार्थी, जो इस सूची में दर्शाये संकायों में अध्ययनरत हैं	Students of National Institute of Technology, Raipur, those studing in course of this list
18	गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी	Students of GG Engineering College under Guru Ghasidas Central University, Bilaspur

  
 उष. संचित  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी

६

सूची -2

लिखित संकायों की सूची जिनमें अध्ययनरत अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को टेबलेट प्रदान किये जायेंगे

क्र.	संकाय का नाम	Name of Course
1	कला	Arts
2	वाणिज्य	Commerce
3	विज्ञान	Science
4	एलएल बी / एलएल एम	LL B/ LL M
5	बी एस सी नर्सिंग	B Sc Nursing
6	बी पी टी	BPT
7	बी फार्मा	B Pharma
8	डी फार्मा	D Pharma
9	एम फार्मा	M Pharma
10	पॉलिटेक्निक संस्थानों के विद्यार्थी	Students of Polytechnic Institute
11	एम बी ए	MBA
12	कुशभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के विद्यार्थी	Students of Kushabhau Thakre Journlasim University
13	हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय अंतर्गत एलएल बी / एलएल एम के विद्यार्थी	Students of LL B/LL M under Hidayatulla Law University

उप संचिव  
छत्तीसगढ़ शासन

सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी